

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

श्री अंकित शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी कल्याणजी मंदिर के पास, गाँधी तिराहा,
दौसा-303303

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

अपील संख्या 13/2024

निर्णय

दिनांक 03.04.2024

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर अपीलांत को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा से संबंधित है। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को पत्र क्रमांक: डीएम/कोर्ट/2024/1031 दिनांक 20.03.2024 के द्वारा अपीलांत को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। अति० जिला कलक्टर दौसा ने पत्र क्रमांक: आरटीआई/2024/1231 दिनांक 01.04.2024 के द्वारा वांछित सूचना अपीलांत को भिजवाते हुए प्रति इस कार्यालय को भिजवाई गई है। अपीलांत द्वारा अपील मीमो में श्री सुरेश चन्द पुत्र श्रवण लाल गुप्ता, निवासी लालसोट रोड, सब्जी मंडी के पास, दौसा को जारी अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञापत्र सं० एई 5/2023-24/1144 से संबंधित संपूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति चाही गई है जिसमें लाईसेंसी सुरेश चन्द का पैन कार्ड, आधार कार्ड व किरायानामा भी शामिल है। अपीलांत द्वारा परव्यक्ति सुरेश चंद का पैन कार्ड, आधार कार्ड व किरायानामा की प्रमाणित प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 में परव्यक्ति की सूचना दिये जाने का प्रावधान नहीं होने से उक्त दस्तावेज की प्रति लोक सूचना अधिकारी अति० जिला कलक्टर दौसा द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। शेष संपूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करा दी गई है। उक्त पत्रादि की छाया प्रति पत्रावली में संलग्न है। इससे ज्ञात होता है कि अपीलांत को सूचना की वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांत खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।



(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलक्टर